

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-अनूपशहर मार्ग (एन0एच0-93) कि0मी0 93 के चैनेज 92.960 बांयी पटरी खसरा सं0 46/3 ग्राम नगौला, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 9.1.18
स्थान:-अलीगढ़।


(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
